न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या–02, मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी –मोहितास सिंह पंवार(आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या	**188/2024**
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या	**173/2022**
सी०एन०आर० नंबर	**RJUD130002242022**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	**281/2021, पुलिस थाना– डबोक**
अपराध अंतर्गत धारा	**341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता**

भाग–प्रथम

A

परिवादी	संजय सेन
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	1. रतनलाल पिता शंकरलाल निवासी मोचीवाडा भीण्डर, थाना भीण्डर, जिला उदयपुर। 2. कपिल पिता भैरूलाल, निवासी मोचीवाडा भीण्डर, थाना भीण्डर, जिला उदयपुर। 3. भरत उर्फ झामेश्वर पिता भैरूलाल, निवासी मोचीवाडा, थाना भीण्डर, जिला उदयपुर।
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री सुशील कुमार ओस्तवाल एनरोलमेंट नं. आर/1274/1994
अधिवक्ता परिवादी	अभियोजन अधिकारी

B

अपराध की दिनांक	21.11.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	22.11.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	20.04.2022
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	20.04.2022
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	13.04.2023
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	–––––
निर्णय दिनांक	01.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	–––––

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान

							अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	रतनलाल	---	----	341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता	**दोषमुक्त**	---	-----
2	कपिल	---	----	341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता	**दोषमुक्त**	---	-----
3	भरत उर्फ झामेश्वर	---	----	341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता	**दोषमुक्त**	---	-----

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	संजय सेन	एफआईआर की ताईद
पी.डब्ल्यू 2	रवि सैन	आहत
पी.डब्ल्यू 3	पंकज सैन	आहत
पी.डब्ल्यू 4	ललित	आहत
पी.डब्ल्यू 5	सोहनलाल	वाकियाती शआदत
पी.डब्ल्यू 6	उमेश	चश्मदीद शआदत, फर्द निरीक्षण घटनास्थल व फर्द डेमेज कार सियाज मारूती की ताईद
पी.डब्ल्यू 7	शुभम	फर्द निरीक्षण घटनास्थल व फर्द डेमेज कार सियाज मारूती की ताईद
पी.डब्ल्यू 8	डॉ. मीना डांगी	मजरूहानों के मेडिकल रिपोर्ट की ताईद
पी.डब्ल्यू 9	लक्ष्मणलाल	तफतीशी हालात व एफआईआर पर आईसी थाना निर्भयसिंह एसआई के हस्ताक्षर की ताईद कर चार्जशीट कता करना
पी.डब्ल्यू 10	कैलाश	वाकियाती शआदत

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	--	

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श नंबर**	**विवरण**
01	प्रदर्श पी. 01	लिखित रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी. 02	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी. 03	नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी. 04	चोट प्रतिवेदन संजय
05	प्रदर्श पी. 05	चोट प्रतिवेदन रवि
06	प्रदर्श पी. 06	चोट प्रतिवेदन पंकज
07	प्रदर्श पी. 07	चोट प्रतिवेदन ललित
08	प्रदर्श पी. 08	फर्द डेमेज कार
09	प्रदर्श पी. 09	पुलिस बयान कैलाश

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	--	

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	--	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	--	

– निर्णय –

01. पुलिस थाना डबोक की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण रतनलाल, कपिल, भरत उर्फ झामेश्वर के विरूद्ध धारा 341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दिनांक 20.04.2022 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली में प्रस्तुत होने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया, जहां से प्रकरण विधिवत रूप से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर के आदेश क्रमांक 107 दिनांक 26.02.2024 से अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमित दांडिक पंजीबद्ध किया गया।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि "दिनांक 22.11.2021 को प्रार्थी

संजय सेन पिता बाबुलाल सेन निवासी खेमली ने उपस्थित थाना हो एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 21.11.2021 को उसके काका सोहन लाल सेन की लडकी काजल व पायल की शादी थी बरात भीण्डर से आयी बारातियों की खाना खाने के बाद बरात में रतनलाल पिता शंकरलाल सेन नि. भीण्डर व कपिल व भरत पिता भैरूलाल सैन निवासी भीण्डर जो नशे शराब में हो उसके साथ व ललित व पंकज के साथ घर के बाहर आडे फिर रोक उनके साथ मारपीट लातो गुस्तो व लकडी से मारपीट की जिससे उनके सिर में चोटे आई है। जिससे सिर में खून आ गये व घर के बाहर खडी कार सियाज नंबर आरजे44 सीए 3888 से उक्त लोगों ने पत्थर फैंक कर कांच फौड दिये इस प्रकार उक्त तीनों लोगों ने शराब पीकर नशे में धुत हो उनके साथ उक्त बारातियों ने आग लगाने की कोशिश की इस झगडे में इस बीच उक्त तीन युवक ने उसके भाई रवि की चेन तोड दी जो की दो तोले की थी जिसे छीन कर ले गये इस रिपोर्ट की कार्यवाही की जावे।".........आदि।

––उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा **341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता** का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए उक्त सारणी में वर्णितानुसार गवाहान के बयान करवाये गये व सारणी में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

05. अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा **313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उनके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

06. बहस अंतिम सुनी गई। अभियोजन अधिकारी का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में जो मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य आई है उससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है जबकि अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रकरण में परीक्षित महत्वपूर्ण गवाहान के बयानों में भारी विरोधाभास है। जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

07. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक

अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

क– आया अभियुक्तगण ने दिनांक 21.11.2021 को लगभग दोपहर के 12.00 बजे मौजा खेमली गांव में सामान्य आशय की पूर्ति में आहतगण संजय, ललित, पंकज व रवि को जाते हुये बाधा डालकर जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया व आहतगण संजय, ललित, पंकज व रवि के साथ कुंद आले से मारपीट कर स्वैच्छया साधारण उपहतियां कारित कर आहत संजय घर के बाहर खड़ी कार सियाज नंबर आरजे44 सीए 3888 पर पत्थर फैंककर, कांच फोड कर क्षतिग्रस्त कर आहत संजय को पचास रूपये से अधिक का नुकसान कारित किया।?

ख– यदि हां तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी?

08. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 10 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है। पत्रावली पर प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन करें तो प्रकरण में आहत संजय, रवि सैन, पंकज सैन, ललित को अभियोजन पक्ष के द्वारा पीड 01 से लगायत पीड 04 तक न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है। दौराने साक्ष्य उक्त चारों ही आहतगण ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में अंकित तथ्यों के अनुरूप कथन करते हुये तत्समय उनके साथ अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करना बताया है। लेकिन आहतगण के मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों के संदर्भ में आहत पीड 01 संजय सैन की साक्ष्य का अवलोकन करें तो आहत ने उनकी व अभियुक्तगण की जान–पहचान नहीं होना व झगडा करने वालों के नाम उसके अंकल सोहनलाल के द्वारा बताने के कथन किये हैं। साथ ही आहत पीड 04 ललित ने अपनी जिरह में झगड़ा करने वालों से उनका पहले कभी नहीं मिलने के कथन किये हैं। आहतगण के जिरह में किये गये उक्त कथनों से स्पष्ट है कि आहतगण के साथ जिन व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई थी, उन व्यक्तियों को वह पहले से जानते व पहचानते नहीं थे। मारपीट करने वाले व्यक्ति अभियुक्तगण ही थे, यह बात आहतगण को उनके चाचा सोहनलाल ने बताई थी। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के द्वारा आरोपित अपराध कारित किये जाने के संदर्भ में सोहनलाल की साक्ष्य अतिमहत्वपूर्ण हो जाती है। सोहनलाल को अभियोजन पक्ष के द्वारा पीड 05 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है। उक्त चश्मदीद गवाह ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी के विपरीत जाते हुये घटना के समय मौके पर नहीं होना व उसके द्वारा मारपीट होते हुये नहीं देखा जाना बताया है। ऐसी दशा में मारपीट करने वाले व्यक्ति अभियुक्तगण ही थे, उक्त तथ्य गंभीर संदेहास्पद हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित घटना के अन्य चश्मदीद गवाह पीड 06 उमेश की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में तत्समय अभियुक्तगण के द्वारा आहत संजय, ललित, रवि, पंकज के साथ मारपीट करना बताया है, लेकिन इस संबंध में गवाह के धारा 161 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी 09 का अवलोकन करें तो गवाह ने घटना की जानकारी फोन के माध्यम से सोहन से प्राप्त करना व घटना के पश्चात सीधा हॉस्पीटल जाना बताया है, जिससे स्पष्ट है कि गवाह घटना घटित होने के बाद सीधे

अस्पताल पहुंचा है। गवाह के द्वारा घटना देखी नहीं गई है। ऐसी दशा में गवाह के द्वारा मारपीट के संबंध में किये गये कथनों का कोई साक्ष्यिक महत्व अब नहीं रह जाता है। साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित घटना के अन्य चश्मदीद गवाह पीड 10 कैलाश की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त चश्मदीद गवाह दौराने साक्ष्य पक्षद्रोही रहा है। गवाह ने अपनी साक्ष्य में उसे घटना की कोई जानकारी नहीं होना बताते हुये अभियोजन कहानी का किसी तरह से कोई समर्थन नहीं किया है। जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा आहतगण की कार पर पत्थर फैंककर कांच तोड़ने का प्रश्न है, के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा तथाकथित क्षतिग्रस्त कार के फोटोग्राफ्स को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं करवाया गया है न ही नुकसानी के संबंध में सक्षम व्यक्ति की रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष पेश करके प्रदर्शित करवाया गया है। जहां तक गवाह पीड 07 शुभम, जो कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 व फर्द डैमेज कार प्रदर्श पी 08 तथा गवाह पीड 09 लक्ष्मणलाल, जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, की साक्ष्य का विवेचन का प्रश्न है, के संबंध में न्यायालय का मत है कि पूर्वोक्त विवेचन के आलोक में उक्त गवाहों की साक्ष्य प्रकरण में औपचारिक प्रकृति मात्र की रह जाती है, जिस पर विस्तृत विवेचन किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लिहाजा उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के परिणामस्वरूप पत्रावली पर अभियुक्तगण के द्वारा आरोपित अपराध कारित किये जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

–आदेश–

09. लिहाजा **अभियुक्तगण 1. रतनलाल पिता शंकरलाल निवासी मोचीवाडा भीण्डर, थाना भीण्डर, जिला उदयपुर, 2. कपिल पिता भैरूलाल, निवासी मोचीवाडा भीण्डर, थाना भीण्डर, जिला उदयपुर, 3. भरत उर्फ झामेश्वर पिता भैरूलाल, निवासी मोचीवाडा, थाना भीण्डर, जिला उदयपुर** को आरोपित अपराध धारा– **341, 323, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10. अभियुक्तगण की और से पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके अविलम्ब निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तगण धारा 437 ए सीआरपीसी के तहत 5,000/– रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत करें।

(मोहितास सिंह पंवार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या–02, मावली, जिला उदयपुर

11. निर्णय आज दिनांक **01.07.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(मोहितास सिंह पंवार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या–02, मावली, जिला उदयपुर